सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 134/2019 दायर दिनाँक 12.06.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुखदेव पुत्र पेमाराम जाति मेगवंशी निवासी निमोद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पेमाराम पुत्र हुक्माराम 2. पूर्णमल पुत्र पेमाराम 3. श्रीराम पुत्र पेमाराम समस्त जाति मेगवंशी निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर 5. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थित:–

1. श्री ओम प्रकाश पुनियां वकील वादीगण
2. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से।

दिनाँक 10.10.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा निमोद की शरहद में खेत ख.नं. 397 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खेत ख0नं0 414 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। जो जमीन पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खेत वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 03 के दादा व प्रतिवादी संख्या एक के माता–पिता से प्राप्त होने से पैत्रक है। प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या02 व 03 अपने दादा के पास ही रहते थे और दादा की सेवा चाकरी व उनकी मृत्यू होने पर सभी क्रियाक्रम किये थे और उनकी समस्त चल एवं अचल सम्पति का उपरोक्त हिस्से पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या एक व वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का ही है। प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 134/2019
दायर दिनाँक 12.06.2019, निर्णय दिनाँक 10.1.2019
सुखदेव बनाम पेमाराम, वगैरा।

वादग्रस्त खेत पैत्रृक खेत होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त खेतों की कृर्षि भूमि में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा नोशनल शेयर दर्ज करवाना चाहते है। किन्तु प्रतिवादीनी सख्या एक जो वर्तमान में वादग्रस्त खेतों में अकेला खातेदार है और वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 को नोशनल हिस्सा देने से इन्कार है। इसलिए वादी को अपना–अपना 1/4–1/4 नोशनल शेयर अपने नाम से घोषित करवाने का वाद माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 01 जो वर्तमान में वादग्रस्त खेतों का खातेदार है। प्रतिवादी संख्या एके वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को उनका नोशनल शेयर देने से इन्कार कर रहा है तथा वादग्रस्त खेतों को विक्रय करने हेतु दिनांक 15.05.2019 अन्य भू माफिया लोगों को दिखने लाने व खेतों को बैचन पर आमादा फिसाद होने से अन्दर हदुद अदालत पैदा हुआ।

प्रार्थना वादी है कि :–

वादी का वाद मय खर्चा विरूद्ध प्रतिवादी सं0 01 डिक्री फरमाया जावें तथा वादग्रस्त मौजा निमोद की शरहद में खेत ख0नं0 397 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा सं0 414 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी में वाद व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा नोशनल शेयर घोषित किया जावें व इसी मुताबिक घोषित हिसे का रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी सं0 01 इस अमर की सादर फरमाई जावें कि वे मौजा निमोद की शरहद के खेत ख0नं0 397 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा सं0 414 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 के 1/4–1/4 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की कार्यवाही बैचाण/हस्तान्तरण यागिरवीनामा दखल अंदाजी हस्तक्षेप वादी के उपयोग उपभोग में बाधा या रूकावट आदि न तो स्वयं करें न ही अन्य ऐजेन्ट आदमी कर्मचारी से करावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 134 / 2019
दायर दिनाँक 12.06.2019, निर्णय दिनाँक 10.1.2019
सुखदेव बनाम पेमाराम, वगैरा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 का नोड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 05 का जवाब पेश हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने राजीनामा पेश किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। राजीनामा अनुसार वादी के वाद अनुसार दावा डिक्री किया जावें तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में राजीनामा पेश हो चुका है। अतः वाद विवेचन जरिये राजीनामा दावा स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः हस्ब दावा डिक्री कर मौजा निमोद की शरहद में खेत ख0नं0 397 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा सं0 414 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा नोशनल शेयर घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **10.10.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 134/2019 दायर दिनाँक 12.06.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुखदेव पुत्र पेमाराम जाति मेगवंशी निवासी निमोद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पेमाराम पुत्र हुक्माराम 2. पूर्णमल पुत्र पेमाराम 3. श्रीराम पुत्र पेमाराम समस्त जाति मेगवंशी निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर 5. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 10.10.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओम प्रकाश पूनियां वकील वादी व श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, मौजा निमोद की शरहद में खेत ख0नं0 397 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा, खेत खसरा सं0 414 रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा नोशनल शेयर घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बावत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.10.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–134–2019 / रीडर / 2019 / 570 दिनाँक 11/10/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुखदेव पुत्र पेमाराम जाति मेगवंशी निवासी निमोद तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पेमाराम पुत्र हुक्माराम 2. पूर्णमल पुत्र पेमाराम 3. श्रीराम पुत्र पेमाराम समस्त जाति मेगवंशी निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 4. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर 5. तहसीलदार डीडवाना

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner